

अनुदान संख्या 94 - जनजातीय कार्य मंत्रालय
GRANT No. 94-MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)				
राजस्व:	Revenue:			
प्रभारित-	Charged-			
मूल	Original	1376,60,00	1376,61,00	1313,62,42
पूरक	Supplementary	1,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			62,97,59
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	97,13,00	97,14,00	86,30,78
पूरक	Supplementary	1,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			10,63,78
पूंजीगत:	Capital:			
स्वीकृत-	Voted -		36,01,00	. . -36,01,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			36,01,00

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई/हुआ:-

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"			
राज्य सरकारों को	Grants-in-aid to State			
सहायता अनुदान	Governments			
मू.	O.	137660.00	131363.41	131362.42
पू.	S.	1.00		
पु.	R.	-6297.59		

(I) 70.00 लाख रु. का विनियोग एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) "राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान - संविधान के अनुच्छेद 275 (I) के परंतुक के अधीन अनुदान - जनजातीय उप योजना के अंतर्गत स्कीमों" के अंतर्गत 3819.00 लाख रु. की बचत (72701.00 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) वन गांवों के विकास के संघटक के अंतर्गत पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(III) "केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - अनुसूचित जनजातियों का कल्याण - शिक्षा - प्राचीन जनजातीय समूहों का विकास" के अंतर्गत 197.59 लाख रु. की बचत (2100.00 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा की राज्य सरकारों से उपयोग प्रमाण-पत्रों के प्राप्त न होने की वजह से निधियां जारी न किए जाने के कारण हुई।

(IV) "केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - अनुसूचित जनजातियों का कल्याण - शिक्षा - पीएमएस स्कीम, पुस्तक बैंक और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों की योग्यता का उन्नयन" के अंतर्गत 4211.00 लाख रु. की बचत (22915.00 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) राज्य सरकारों से पूरे प्रस्ताव प्राप्त न होने और योजना आयोग द्वारा मंत्रालय की निधियों के बिना प्रावधान वाली कुछ स्कीमों को बहाल किए जाने के लिए विनियोग प्राप्त न होने के कारण हुई।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (2000.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि "केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - अनुसूचित जनजातियों का कल्याण - शिक्षा" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अगस्त, 2005 में 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक विनियोग प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) "जनजातीय उप योजना क्षेत्र में आश्रम विद्यालयों की स्थापना" - 600.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 599.50 लाख रु. था।

(खा) "अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं और बालकों के लिए छात्रावासों की स्कीम" - 1400.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 1399.50 लाख रु. था।

(I) Appropriation of Rs.70.00 lakhs remained wholly unutilised under one head.

(II) Under "Grants for State Plan Schemes- Grants under Proviso to Article 275 (1) of the Constitution – Schemes under Tribal Sub Plan"- saving of Rs.3819.00 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.72701.00 lakhs) was due to non-receipt of sufficient proposals under the Component of Development of Forest Villages.

(III) Under "Grants for Central Plan Schemes- Welfare of Scheduled Tribes-Education- Development of Primitive Tribal Groups" – saving of Rs.197.59 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.2100.00 lakhs) was due to non-release of funds owing to non-receipt of utilisation certificates from State Government of Andhra Pradesh, Maharashtra and Orissa.

(IV) Under "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes- Welfare of Scheduled Tribes – Education- Scheme of PMS, Book Bank and Upgradation of Merit of ST students"- saving of Rs.4211.00 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.22915.00 lakhs) was due non-receipt of complete proposals from the State Governments and appropriation towards restoration of few schemes of the Ministry by the Planning Commission without any provision of funds.

2.(I) The above savings were partly (Rs.2000.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary appropriation of Rs.1.00 lakh in August, 2005 under "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Welfare of Scheduled Tribes - Education" - under the following heads:-

(A) "Establishment of Ashram Schools in Tribal Sub-Plan Area"-Rs.600.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.599.50 lakhs.

(B) "Scheme of Hostels for ST Girls and Boys" – Rs.1400.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.1399.50 lakhs.

3. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ :-

3. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष Head	Head			
मुख्य शीर्ष "2251"	Major Head "2251"			
सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	Secretariat – Social Services			
मू.	O.	615.00		
पु.	R.	-112.72	502.28	467.02
				-35.26
मुख्य शीर्ष "2225"	Major Head "2225"			
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes			
मू.	O.	5491.00		
पू.	S.	1.00	5545.94	5563.71
पु.	R.	53.94		+17.77
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"			
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas			
मू.	O.	3600.00		
पु.	R.	-3600.00
				..
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"			
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments			
पु.	R.	2600.00	2600.00	2600.00
				..

(I) 3675.00 लाख रु. का प्रावधान चार शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 3600.00 लाख रु. अकेले मुख्य शीर्ष "2552" - "अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान" के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित

(I) Provision of Rs.3675.00 lakhs remained wholly unutilised under four heads; of these Rs.3600.00 lakhs alone accounted for under Major Head "2552" - "Other Expenditure-Lumpsum provision for Schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim" – due to re-

परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(II) मुख्य शीर्ष "2251" - "सचिवालय - जनजातीय कार्य मंत्रालय" के अंतर्गत 147.98 लाख रु. की बचत (615.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(III) मुख्य शीर्ष "2225" - "अनुसूचित जनजातियों का कल्याण - निदेशन और प्रशासन - राष्ट्रीय जनजाति आयोग" के अंतर्गत 127.94 लाख रु. की बचत (456.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें रिक्त पदों के भरे न जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुईं।

(IV) तीन शीर्षों के अंतर्गत 202.08 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 38 प्रतिशत से 65 प्रतिशत तक थीं।

4.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (165.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "2225" - "अनुसूचित जनजातियों का कल्याण - शिक्षा - अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं और बालकों के छात्रावासों की स्कीम" के अंतर्गत मार्च, 2006 में 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 164.00 लाख रु. था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष "2225" - "अनुसूचित जनजातियों का कल्याण - अन्य व्यय - कोचिंग और अनुषंगी स्कीम तथा अनुकरणीय सेवा के लिए पुरस्कार सहित अनुसूचित जनजातियों के लिए गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान" - 375.87 लाख रु. का अधिक व्यय (2235.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(खा) मुख्य शीर्ष "3601"-

appropriation of part funds to the functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head "2251" - "Secretariat - Ministry of Tribal Affairs"- saving of Rs.147.98 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.615.00 lakhs); and

(III) Under Major Head "2225" - "Welfare of Scheduled Tribes - Direction and Administration - National Commission for Scheduled Tribes" - saving of Rs.127.94 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.456.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-filling up of the vacant posts and austerity measures.

(IV) Under three heads savings of Rs.202.08 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 38 percent to 65 percent of the sanctioned provision.

4.(I) The above savings were partly (Rs.165.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.1.00 lakh in March, 2006 under Major Head "2225" - "Welfare of Scheduled Tribes-Education-Scheme of Hostels for ST Girls and Boys". Actual excess, however, was Rs.164.00 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2225" - "Welfare of Scheduled Tribes - Other Expenditure - Grants-in-aid to NGOs for STs including Coaching and Allied Scheme and Award for exemplary service"- excess of Rs.375.87 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 2235.00 lakhs);

(B) Major Head "3601"-

- (क) “केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - अनुसूचित जनजातियों का कल्याण - शिक्षा - लघु वन उत्पाद के लिए राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगम को सहायता अनुदान” - 204.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ; और
- (ख) “केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण - शिक्षा - पीएमएस की स्कीम, पुस्तक बैंक और अनुसूचित जनजाति के छात्रों की योग्यता का उन्नयन” - 2311.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्ष को किए जाने के कारण हुआ।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत 85.00 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जहां सम्पूर्ण व्यय निधियों के पुनर्विनियोग द्वारा पूरा किया गया था।

5. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई :-

- (a) “Grants for Central Plan Schemes – Welfare of Scheduled Tribes - Education - Grants-in aid to State Tribal Development Cooperative Corporation for Minor Forest Produce”-excess of Rs.204.00 lakhs (against nil provision); and
- (b) “Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Welfare of Scheduled Tribes - Education - Scheme of PMS, Book Bank and Upgradation of Merit of ST Students”- excess of Rs.2311.00 lakhs (against nil provision).

Excess under the above three heads was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to the functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(III) Under one head excess of Rs.85.00 lakhs occurred where the entire expenditure was met by re-appropriation of funds.

5. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
				(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष “4225” अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head “4225” Capital Outlay on Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes			
मू.	O.	3301.00		
पु.	R.	-3301.00
मुख्य शीर्ष “4552” उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head “4552” Capital Outlay on North Eastern Areas			
मू.	O.	300.00
पु.	R.	-300.00

(I) 3601.00 लाख रु. का प्रावधान चार शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 3600.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष "4225" -

(क) "अनुसूचित जनजातियों का कल्याण - आर्थिक विकास - निवेश/ट्राइफेड को मूल्य सहायता" - 600.00 लाख रु. आर्थिक कार्यों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा स्कीम को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण थे।

(ख) "सामान्य - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - राष्ट्रीय/राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम को सहायता" - 2700.00 लाख रु. मूल्यांकन अध्ययन को मिला दिए जाने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष "4552" - "अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए एकमुश्त प्रावधान" - 300.00 लाख रु. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण थे।

(I) Provision of Rs.3601.00 lakhs remained wholly unutilised under four heads; of these Rs.3600.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "4225" -

(a) "Welfare of Scheduled Tribes- Economic Development – Investment/Price Support to TRIFED" - Rs.600.00 lakhs - due to non-approval of the scheme by the Cabinet Committee on Economic Affairs.

(b) "General- Investment in Public Sector and Other Undertakings - Support to National/ State Scheduled Tribes Finance and Development Corporation" - Rs.2700.00 lakhs - due to linked up evaluation study.

(II) Major Head 4552"- "Other Expenditure – Lumpsum provision for the benefit of the North Eastern Region and Sikkim" - Rs.300.00 lakhs – due to re-appropriation of part funds to the functional heads for utilisation on the projects/ schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.